

कॉपीराइट का उल्लंघन एवं पासगि ऑफ

स्रोत : इंडियन एक्सप्रेस

हाल ही में **दिल्ली उच्च न्यायालय** ने ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे (HOB) द्वारा दायर **कॉपीराइट उल्लंघन** के मुकदमे में इंस्टाग्राम अकाउंट पीपल ऑफ इंडिया (POI) को आहूत करके ध्यान आकर्षित किया।

- यह विवाद उनके **कहानी कहने के तरीकों में समानताओं** से उपजा है, HOB का दावा है कि POI ने उनकी सामग्री की नकल की है।
- यह मामला **कॉपीराइट उल्लंघन, नषिधाज्जा और पासगि ऑफ** सहित महत्वपूर्ण कानूनी अवधारणाओं पर ज़ोर देता है।

मुद्दे से संबंधित प्रमुख बिंदु:

- **कॉपीराइट:**
 - **कॉपीराइट का तात्पर्य** साहित्यिक, नाटकीय, संगीतमय और कलात्मक कार्यों के रचनाकारों के साथ-साथ सनिमेटोग्राफ फिलिमों एवं ध्वनिकॉर्डिंग के रचनाकारों को प्रदान की गई कानूनी सुरक्षा से है।
 - **वर्ष 1957 के कॉपीराइट अधिनियम** का उद्देश्य इन रचनात्मक कार्यों को उनके रचनाकारों की बौद्धिक संपदा के रूप में सुरक्षित रखना है।
 - पेटेंट के मामले के विपरीत, **कॉपीराइट अभवियक्त की रक्षा करता है न कविचारों की।**
 - इस अधिनियम के अलावा, कॉपीराइट को अन्य प्रासंगिक कानूनों के अनुरूप लाने के लिये **कॉपीराइट (संशोधन) नियम 2021** को प्रभाव में लाया गया है।
 - कॉपीराइट मालिकों को उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ **कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार** है, जिसमें **नषिधाज्जा (Injunction)**, कर्षता और खातों जैसे उपाय शामिल हैं।
- **नषिधाज्जा:** HOB बनाम POI के हालिया मामले में HOB ने अपनी कॉपीराइट वषिय-वस्तु के उल्लंघन को रोकने हेतु न्यायालय से नषिधाज्जा की मांग की।
 - **नषिधाज्जा एक न्यायालयी आदेश है** जो सामान्यतः किसी को किसी वषिय कार्रवाई को रोकने का निर्देश देता है।
 - हालाँकि **नषिधाज्जा प्राप्त करना इस बात की गारंटी नहीं है** कि दुरुपयोग के सभी मामलों को यथाशीघ्र हल कर दिया जाएगा क्योंकि इसे लागू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
- **कॉपीराइट का उल्लंघन:** यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब **कॉपीराइट किये गए कार्य का उपयोग प्राधिकरण के अनुमति के बिना किया जाता है**, वषियकर यदा कार्य का एक बड़ा हिस्सा पुनः दोहराया जाता है।
 - HOB के मामले में न्यायालय को HOB एवं POI के बीच "पर्याप्त अनुकरण/नकल" के साक्ष्य मल्ले हालाँकि जिस "पर्याप्त" माना जाता है उसकी डगिरी या स्तर भिन्न हो सकता है।
 - यह अक्सर कॉपी की गई वषिय-वस्तु की मात्रा के बजाय गुणवत्ता पर निर्भर करता है। यहाँ तक कि किसी अन्य कार्य से एक आकर्षक वाक्यांश की कॉपी करना भी उल्लंघन माना जा सकता है।
- **पासगि ऑफ:** **कैडला हेल्थकेयर लिमिटेड बनाम कैडला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड मामले, 2001** में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि **पासगि ऑफ अनुचित व्यापार प्रतिसिपर्द्धा का एक रूप है जिसके माध्यम से एक पक्ष किसी वषिय व्यापार या व्यवसाय में दूसरे द्वारा स्थापित प्रतिष्ठा से लाभ उठाने का प्रयास करता है।**
 - **पासगि ऑफ** में प्रतद्विद्वी व्यापारियों से जुड़ी वस्तुओं या सेवाओं की प्रकृति, चरतिर या प्रदर्शन के बारे में उपभोक्ताओं की गलत बयानी या धोखा शामिल है।
 - पासगि ऑफ को साबति करने हेतु मूल मालिक की **सद्भावना और प्रतिष्ठा को किसी प्रकार का धोखा या हानि होनी चाहिये।**

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2019)

1. भारतीय पेटेंट अधिनियम के अनुसार, किसी बीज को बनाने की जैव प्रक्रिया का भारत में पेटेंट कराया जा सकता है।

2. भारत में कोई बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड नहीं है।
3. पादप कस्मिं भारत में पेटेंट कराए जाने की पात्र नहीं हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 3
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c)

- भारतीय पेटेंट अधिनियम की धारा 3(J), "पौधों व पशुओं के पूरण या वभिजति हसिसे में सूक्ष्मजीवों के अलावा बीज, कस्मिं और प्रजातियों तथा अनविर्य रूप से पौधों एवं पशुओं के उत्पादन या प्रजनन हेतु जैविक प्रक्रियाओं" को पेटेंट से बाहर करती है। अतः कथन 1 सही नहीं है।
- भारतीय व्यापार चहिन अधिनियम, 1999 और माल के भौगोलिक उपदर्शन (रजसिद्रीकरण एवं संरक्षण) अधिनियम, 1999 के तहत रजसिदरार के नरिणय के खलिाफ अपील सुनने और हल करने के लयि भारत सरकार द्वारा 2003 में बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड (IPAB) का गठन कयिा गया था। अतः कथन 2 सही नहीं है।
- पादप वविधिता संरक्षण पादप प्रजनक अधिकारों (PBR) के रूप में एक प्रजनक को पादप वविधिता का कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। भारत में पौधों की कस्मिं और कसिानों के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम, 2001 (PPVFR) एक वशिषिट प्रणाली है जसिका उद्देश्य पौधों की कस्मिं की सुरक्षा तथा पौधों के प्रजनकों एवं कसिानों के अधिकारों के लयि एक प्रभावी प्रणाली की स्थापना करना है। सुई जेनरसि प्रणाली पेटेंट प्रणाली का एक वकिल्प है। अतः कथन 3 सही है। अतः वकिल्प (C) सही उत्तर है।

?????:

प्रश्न. वैश्वीकृत संसार में, बौद्धिक संपदा अधिकारों का महत्त्व हो जाता है और वे मुकद्दमेबाज़ी का एक स्रोत हो जाते हैं। कॉपीराइट, पेटेंट और व्यापार गुप्तियों के बीच मोटे तौर पर वभिदन कीजयि। (2014)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/copyright-infringement-and-passing-off>

